अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या 45/2021/1419506 /12-2099/139/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-**2** लखनऊ: दिनांक: **06** अगस्त, **2021**

विषयः- कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की समय से व्यवस्था किये जाने, उर्वरकों की बिक्री/वितरण शत-प्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से किये जाने तथा यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग रोकने, ओवररेटिंग, कालाबाजारी एवं तस्करी की सतत् निगरानी किया जाना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वर्तमान समय में प्रदेश में कृषकों द्वारा खरीफ फसलों की बुआई/रोपाई का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त, खड़ी फसलों में यूरिया उर्वरक की प्रथम एवं आवश्यकतानुसार दूसरी टॉप ड्रेसिंग का कार्य किया जा रहा है, जिससे वर्तमान समय में यूरिया उर्वरक की मॉग में वृद्धि हो रही है।

2- कृषकों को गुणवत्तायुक्त यूरिया उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च् प्राथमिकता है, अत: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कृषकों को उनकी जोत के अनुसार उर्वरक निर्धारित दरों पर प्राप्त हो, तथा, उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक दामों पर बिक्री, यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उर्वरकों एवं उत्पादों की टैगिंग पर पूरी तरह से अंकुश रखा जाए।

3- अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुसार कृषकों को उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही एवं नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए:-

1. कृषि विभाग के शासनादेश संख्या-33/2020/1866/12-2-2020-एफ.58/2008, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 द्वारा सुगमतापूर्वक गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, अथवा, जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति गठित है। समिति द्वारा जनपद में प्राप्त होने वाली उर्वरक की, क्षेत्रीय कृषकों की वास्तविक मॉग के अनुसार निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उर्वरक बिक्री केन्द्रों हेतु आवंटन किया जाए।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. जनपद के समस्त क्षेत्रों में मॉग के अनुरूप सुगमतापूर्वक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय तथा जनपदीय समिति द्वारा साप्ताहिक समीक्षा की जाए।

3. समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर अनिवार्य रूप से पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से ही उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित की जाए तथा पी0ओ0एस0 में प्रदर्शित स्टॉक का बिक्री केन्द्र में भौतिक रूप से उपलब्ध स्टाक से सत्यापन किया जाए।

4. वर्तमान में प्रयोग होने वाले मुख्य उर्वरक यूरिया की बिक्री कृषकों को निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाए।

5. उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता पाया जाए, तो उसके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्राविधानानुसार प्रभावी विधि संगत कार्यवाही की जाए।

6. उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया उर्वरक के साथ किसी भी प्रकार के अन्य उर्वरक/उत्पादों की टैगिंग करके बिक्री न की जाए, इसे सुनिश्चित किया जाए।

7. ऐसे उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाओं, जिनके द्वारा किसी थोक उर्वरक विक्रेता को प्रमुख उर्वरक यूरिया एवं डी0ए0पी0 की आपूर्ति दिये जाने हेतु, कम प्रचलित उर्वरक/उत्पाद भी क्रय करने हेतु बाध्य किया जाता है, उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

8. कृषकों को उनकी जोत/कृषित भूमि के आधार पर ही, नियंत्रित तरीके से फसल की संस्तुतियों के अनुरूप, उर्वरकों का वितरण एवं बिक्री सुनिश्चित की जाए, जिससे समस्त कृषकों को मांग के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

9. फुटकर विक्रेताओं के साथ-साथ थोक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टों के स्टाक का सघन निरीक्षण किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं थोक विक्रेता स्थानीय स्तर पर अपने पास उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण कर, उर्वरकों का कृत्रिम अभाव तो उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। अधिक भण्डारित स्टाक को बाजार में कृषकों के लिए बिक्री हेतु अविलम्ब अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा दोषियों के विरूद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी विधिक कार्यवाई सुनिश्चित की जाए।

4. कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या: 45/2021/1419506(1) /12-2099/139/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन,
2. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन,
3. अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0शासन,

http://shasanadesh.up.gov.in

4. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0 स्टेट एग्रो/ औद्यानिक संघ/गन्ना संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. समस्त उप/संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
8. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
9. समस्त राज्य विपणन प्रबन्धक/विपणन प्रबन्धक, उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाएँ, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in